सरल कानूनी ज्ञान माला – 48

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016

भारत में दिव्यांगजनों की संख्या करीब चार करोड़ है। जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इनके अन्तर्गत नेत्रहीन, मूक–बधिर तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिनका कोई अंग नहीं है। इसके अलावा मानसिक रूस से पीड़ित दिव्यांग भी काफी अधिक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के सशाक्तिकरण हेतू सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बनाया गया है।

दिव्यांगजन कौन है?

दिव्यांगजन से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संबंधी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदी में रूकावट उत्पन्न होती है।

अर्थात् दिव्यांगजन ऐसा व्यक्ति होता है, जो कि लंबी शरीरिक, मानसिक इत्यादि किसी कमी के कारण अपने व्यक्तिगत एवं समाजिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाई या रोध से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है, जिसमें संसूचनात्क, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अबसंरचनात्मक कारक शामिल है, जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं।

दिव्यांगता के संबंध में विभेद क्या है?

दिव्यांगता के संबंध में विभेद से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निबंधन अभिप्रेत है, जो राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, अपभांग या प्रयोग कम करने का प्रयोजन या प्रभाव है। जिसके अन्तगर्त सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस नवीनतम अधिनियम का प्रमुख दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करना है। जिसमें निम्नलिखित दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियमय के निम्नलिखित मूल सिद्धान्त सम्मिलित है–

- अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता भी है,
- अविभेद
- समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी
- मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण
- अवसर की समानता
- पहुँच
- लौंगिक समानता
- दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परीचित करने के उनके अधिकार के लिए आदर

देखरेख कर्ता किसे कहते हैं?

माता–पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति जो संक्षय करने पर या इसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख–रेख, सहारा या सहायता देता है, उसे देखरेख कर्ता कहा जाता है।

पुनर्वास और विशेष रोजगार कार्यालय क्या है?

दिव्यांगजनों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेरी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से तैयार की गयी विशिष्ट प्रकिया को पुनर्वास कहा जाता है। किसी दिव्यांगजन को सशक्तिकरण करने के लिए पुनर्वास का अत्यधिक महत्व है।

सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान, जहॉ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते तथा तत्संबंधी रिक्तियों के संबंध में रजिस्टर या सूचना रखी जाती है, विशेष रोजगार कार्यालय कहा जाता है।

दिव्यागंजनों को क्या अधिकार प्राप्त है?

अधिनियम के अन्तगर्त दिव्यांगजनों को कई अधिकार दिये गये है। जो इस प्रकार हैं –

❖ **क्षमता और अविभेद –**

- दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के हकदार है।
- किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जायेगा। जब तक कि यह दर्शित नही कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोपए विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।
- दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भॉति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करेंगें।
- दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार है तथा उसे किसी विशिष्ट जीवन व्यस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

❖ **क्रुरता, अमानवीय व्यवहार, दुरूपयोग और हिंसा से संरक्षण का अधिकार**

- सरकार दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित के लिए उपाय करेगी।
- कोई दिव्यांगजन स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना और सरकार द्वारा गठित दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति के बिना किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नही होगा।
- दिव्यांगजनों को दुरूपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जायेगें।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा, जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।
- जोखिम सशस्त्र संधर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुॅच अपंक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगें।

❖ **ग्रह और कुटुबं में रहना तथा प्रजनन अधिकार**

- किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर, सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक नही किया जायेगा।
- जहॉ अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा ना होने पर सरकार या गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आप्रय स्थलों में रखेगा।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुॅच हो। किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नही किया जाएगा, जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

❖ **मतदान में पहुॅच का अधिकार**

भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्या निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगें कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुॅच में हो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समक्षने योग्य और उनकी पहुॅच में हो।

❖ **न्याय तक पहुँच का अधिकार**

दिव्यांगना के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्द्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियों रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुँच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ है। राष्टीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन, की अन्य व्यक्तियों कें समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुँच हो उपबंध करेंगें।

उत्तराखंण्ड राज्य में सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतू पात्र व्यक्तियों की क्षेणी में रखा गया है। अतः दिव्यांग व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील विधिक सेवा समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

❖ **विधिक सामर्थ्य**

दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से यथावर या जंगम संपत्ति का स्वामित्व या विरासत उनके वित्तीय मामलों के नियन्त्रण का अधिकार रखेगें और बैंक ऋण, बंधक वित्तीय प्रन्यय के अन्य रूपो तक पहुँच रखेगें।जब सहायता करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य वित्तीय या आर्थिक संव्यवहार को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाना है तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से अलग रहेगा। दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नही करेगा और उसकी स्वायता, गरिमा और निष्ठा का सम्मान करेगा।

❖ **दिव्यांगजन के साथ हिंसा, शोषण या दुरूपयोग की दशा में कार्यपालक माजिस्ट्रेट एवं पुलिस का कर्त्तव्य –**

- ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्टर्ड संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरूप्रयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध हुआ है या हो रहा है या किऐ जाने की संभावना है तो, वह स्थानीय अधिकारिता प्राप्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, उसके बारे में सूचना दे सकेगा।?
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट सूचना प्राप्ति पर उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपास करेगा या दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए सुरक्षित अभिरक्षा, पुनर्वास, भरण पोषण अपलब्ध कराने संबंधी आदेश पारित करेगा।
- कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरूप्रयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देगा।
  - ✓ संरक्षण के लिए आवेदन करने के एसके अधिकार और सहायाता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विशिष्टियों के बारे में।
  - ✓ दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टयों के बारे में
  - ✓ निःशुल्क विधिक सहायाता के अधिकार के बारे में
  - ✓ शिकायत फाइल करने के अधिकार के बारे में
- यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार कोई अपराध गठित करता है, तो वह इस प्रभाव की शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

❖ **संरक्षकता के लिए अपबंध**

इस नवीन अधिनियम में दिव्यांगजन को विधिक रूप से **आबहुकर** विनिश्चयों को लेने में सहायता प्रदान करने के लिए सीमित संरक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सीमित संरक्षकता और दिव्यांगजन के मध्य आपसी संमझदारी

और भरोसे पर प्रचलित है, जो कि विशेष अवधि और विनिश्चय तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी।

कोई जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी यह पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गयी थी, किंतु वह विधिक रूप से **आबहुकर** विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से विहित रीति में उसकी ओर से विधिक रूप से **आबहुकर** विनिश्नय लेने के लिए सीमित संरक्षक की ओर सहायाता प्रदान की जा सकेगी।

परंन्तु जिला न्यायालय या अभिहित प्रधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिये पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या सीमित संरक्षकता वार–बार प्रदान किए जाने की दशा में इसका पुनविलोकन किया जाएगा।

यदि कोई संरक्षक किसी दिव्यांगजन के लिए इस कानून के लागू होने से पहले किसी कानून के तहत नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रू‍प में कार्य करने के लिए कमक्षा जायेगा। दिव्यांगजन अभिहित प्राधिकारी द्धारा विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंध निर्णय के विरुद्ध संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंध निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्रधिकारी के समझ अपील कर सकेगा।

❖ शिक्षा

- इस कानून में दिव्यांगों की शिक्षा के लिए भी समुचित प्रावधान किये गये है। सरकार व स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्धारा सभी वित पोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाऍं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें। दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित व पूरा करने इत्यादि के संबंध में स्कूल जाने वाले बालको का हर पॉच वर्ष में सर्वेक्षण किया जायेगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया जायेगा। संदर्भित दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या साम्रगी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने और समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान रकने के बारे में भी उपबंध किया गया है।

❖ कौशल विकास और नियोजन

- सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वानियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसमें रियायती दरों पर ऋृण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।
- कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में दिव्यांगजन के विरूद्ध विभेद नही करेगा। परन्तु कार्यों के प्राकर को देखते हुए इससे किसी स्थापन को छूट दी जा सकती है।
- केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नही किया जा सकता और ना ही उसकी रैंक में कभी की जा सकती है।
- सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकती है।
- प्रत्येक स्थापन प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को अधिसूचित करेगा और मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।
- प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांगों के अभिलेख रखेगा।

❖ नियोजन के संबंध में शिकायत

- प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांगजनों के लिए नियोजन इत्यादि के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को इस नियुक्ति की सूचना दी जायेगी।

- नियोजन में विभेद किये जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकेगा। अधिकारी उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्यवाही के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।
- शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा शिकायत की जॉच इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर की जायेगी।
- यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्यवाही से समाधान नही होता है , तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकता है।

❖ समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद–प्रमोद

सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा–संबर्धन, स्वास्थ्य देखरेख, पुनर्वास तथा बीमा इत्यादि स्कीमें बनाएगी। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों हेतू अन्य व्यक्तियों के समान आमोद–प्रमोद, खेलकुद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगें।

❖ संदर्भित दिव्यांगजना कौन है?

'' संदर्भित दिव्यांगजन'' से प्रामणकर्ता प्राधिकारी द्धारा यथाप्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहॉ विनिर्दिष्ट परिभाषित नही की गयी है। इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है, जहॉ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्धारा परिभाषित की गयी है अर्थात् कम से कम 40 प्रतिशत प्रमाणित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ''संदर्भित दिव्यांगजन'' कहा जाता है।

❖ संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

- संदर्भित दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।
- संदर्भित दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुॅच होगी।
- उच्च शिक्षा की सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पॉच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेगी। साथ ही उपरी आयु सीमा में पॉच वर्ष तक शिथिलता दी जायेगी।
- सरकार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण हेतू स्थापन में पदों की पहचान करेगी तथा पहचाने गए पदों का तीन वर्ष से अधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।
- राकार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्धारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी।
    - ✓ अंध और निम्न दृष्टि
    - ✓ बाधिर और श्रवण शक्ति में हास
    - ✓ चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तगर्त प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।
    - ✓ स्वपरायगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिनियम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता
    - ✓ उपरोक्त सभी के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है।
- प्राइवेट सेक्टर में नियोजको को उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके कार्यबल में कम से कम पॉच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों को रखे जाने के लिए प्रोत्याहित किया जायेगा।

❖ उच्च सहायता की आवश्कता वाले दिव्यांगजन कौन है?

इस अधिनियम की धारा–58 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है, को उच्च सहायता की आवश्यकता वाला दिव्यांगजन कहा जाता है। इस प्रामण पत्र की पूरे भारत में मान्यता होती है।

❖ उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनो हेतू विशेष उपबंध

उच्च सहायता की आवश्यता वाले संदर्भित दिव्यांगजन या उसकी और से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए अनुरोध करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ऐसा आवेदन प्रद्त होने पर प्राधिकारी, इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से निर्धारित बोर्ड को भेजेगा। निर्धारण बोर्ड मामले को निधारण करेगा और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रामाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी रिपोर्ट के अनुसार और सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

❖ विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रकाणन

- सरकार अपेक्षित अर्हताए और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रू॰ में पदाभिहित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।
- कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, अधिकारिता प्राप्त प्रमाण कर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने पर आवदेन कर सकेगा।
- आवेदन प्राप्ति पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तो के अनुसार संबंधित व्यक्ति की दिव्यंगता का निर्धारण करेगा और विहित प्रारूप में दिव्यांगता का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। अथवा लिखित में सूचित करेगा कि आवेदन को कोई दिव्यांगता नही है।
- उपरोक्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

❖ विशेष न्यायालय तथा विशेष लोक अभियोजक

- तवरित विचारण प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक **संशन** न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायरलय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रू॰ में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता का नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रू॰ में व्यवसाय कर रहा हो।

❖ अपराध और शास्तियॉ

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंधन करता है, पहले उल्लंघन के लिए दस रूपये तक के जुर्माने तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कम से कम 50000/–रूपये से पॉच लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

जो कोई कपटपूर्वक, संदर्भित दिव्यागजनों के लिए आशयित किसी फायदे को लेता है, या लेने का प्रयास करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

जो कई किसी लोक दृष्टिगोचर स्थान में दिव्यांगजन को साशय अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से अभित्रस्त करता है, बल प्रयोग करता है या दिव्यांग महिला की लज्जा भंग करता है, दिव्यांगजन पर प्रभार या नियंत्रण रखते हुए, जानबूझकर भोजन इत्यादि देते से इंकार करता है, दिव्यांग बालक या महिला का लौंगिक रूप से शोषण करने के लिए उनकी इच्छा को अधिशासित करने की अपनी स्थिति का दुरूप्रयोग करता है, दिव्यांगजन के किसी अंग या इन्द्रीय या सहायक युक्ति के उपयोग में स्वेच्छ या क्षति पहुॅचाता है या बाधा डालता है, किसी दिव्यांग महिला पर कोई ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया करता है या कराता है, जिससे उसकी सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होनी है या समाप्त होने की संभावना है, त बवह ऐसे कारावास से लिसकी अवधि छः मास से कम की नही होगी किन्तु जो पॉच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

❖ **अपराध का संज्ञान**

कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त उसके द्धारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्धारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्धारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

❖ **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता किसे कहते है?**

अधिनियम के अंत में दी गयी अनुसूची में वर्णित दिव्यांगताओं को विनिर्दिष्ट की क्षेणी में रखा गया है जो कि इस प्रकार है :–

1. **शरीरिक दिव्यांगता –**

(अ) – गतिविषयक् दिव्यांगता (सुनिश्चित् गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति को असमर्थता जी स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल् और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ है), जिसके अंतर्गत –

(क) '' कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है –

1. हाथ या पैरों में सुग्रहीकरण का हास के साथ–साथ आंख और पलक में सुग्राहीकीण का हास और आंशिक बात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं हैः
2. व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम हैः
3. अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ–साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगाः

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई गैर–प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन की और पेशियों के समन्वयन की प्रभावित करती है, जो मस्तिस्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पनन होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है,

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय आनुवंशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट इंच (147 से0मी0) या उससे कम रह जाती है,

(घ) ''पेशीयदुष्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीरन को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है

जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है,

(ड़) ''तेजाी आक्रमण पीड़ित'' से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेककर किए गए हिंसक हमले के कारण विदूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(आ) **दृष्टिगत हास –**

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,

1. दृष्टि का पूर्णयता अभाव, या
2. सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, या
3. 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांततिर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा,

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् :–

1. बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 के अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता, या
2. 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा,

(इ) ''श्रवण शक्ति का हास''–

(क) ''बधित'' से दोनों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं,

(ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

(ई) ''वाक् और भाषा दिव्यांगता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2 ''बौद्धिक दिव्यांगता'' से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दानों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत –

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्धारा आलेचान करने की कमी विद्यमान होती है जो समक्षने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं,

(ख) ''स्वरायणता स्पैक्टम विकार'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभाविक करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या धिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3 मानसिक व्यवहार–

''मानसिक रूग्णता'' से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशंषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4 निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता–

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे–

(i) ''बहु–स्केलेरोसिक'' के प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर की हड्डी का मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती हैः

(ii) ''पार्किसन रोग'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्हाकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीत गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के हास संबद्ध मध्य और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता हैः

(ख) रक्त विकृति–

(i)''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता हैं किन्तु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचालित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससें छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तभ्रात हो सकता हैः

(ii)''थैलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव हैः

(ii)''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्व टिशुओं ओर अंगो को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं मे परिलक्षित होता हैः ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुदिव्यांगता (उपरयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृष्य के सम्मिलित हास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय

35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3– सभी महिलायें एवं बच्चे,
4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8– भूतपूर्व सैनिक,
9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
10– वरिष्ठ नागरिक,
11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,
12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल